

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या: 33-विनियम एवं औ०स०/पाकालि/11-5-विनियम/98

दिनांक: 02 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-20-विनियम/पाकालि/08-5-विनियम/98 दिनांक 29.01.2008 के बिन्दु (1) के निम्न स्तम्भ-1 में अंकित प्राविधानों को कार्यालय ज्ञाप संख्या-81-औस एवं विनियम/पाकालि/2009-5-विनियम/88(टी०सी०-6) दिनांक 24.02.2009, कार्यालय ज्ञाप संख्या-198-औस एवं विनियम/पाकालि/2009-5-विनियम/88(टी०सी०-6) दिनांक 18.11.2009, कार्यालय ज्ञाप संख्या-118-औस एवं विनियम/पाकालि/2010-4-विनियम/86, दिनांक 24.12.2010 एवम् कार्यालय ज्ञाप संख्या-34-औस एवं विनियम/पाकालि/2011-9-विनियम/2011, दिनांक 24.06.2011 के प्राविधानों को यथावत् रखते हुए आंशिक रूप से संशोधित कर निम्न स्तम्भ-2 में अंकित प्राविधानों से एतद्द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :-

स्तम्भ-1 वर्तमान प्राविधान	स्तम्भ-2 प्रतिस्थापित प्राविधान
बिन्दु-1 कारपोरेशन में समूह 'ग' एवं उच्च संवर्ग के पदों पर जो भी नियुक्तियों की जाये उनमें वर्तमान न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/अर्हता के साथ-साथ कार्मिकों के लिए कम्प्यूटर के क्षेत्र में न्यूनतम अर्हता Department of Electronics द्वारा संचालित Department Of Electronics Accreditation of Computer Courses (DOEACC) स्कीम के अन्तर्गत 'O' Foundation कोर्स C.I.C. (Certificate in Computing) अथवा किसी प्रतिष्ठित कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान से समकक्ष एक वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	बिन्दु-1 कारपोरेशन में समूह 'ग' संवर्ग के पदों पर जो भी नियुक्तियों की जाये उनमें वर्तमान न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/अर्हता के साथ-साथ निम्न इंगित अधिकारियों/कार्मिकों एवं जहाँ पूर्व से ही अन्यथा प्राविधानित हो, को छोड़कर अन्य कार्मिकों के लिए कम्प्यूटर के क्षेत्र में न्यूनतम अर्हता Department of Electronics द्वारा संचालित Department Of Electronics Accreditation of Computer Courses (DOEACC) स्कीम के अन्तर्गत 'O' लेवल कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। 1. सीधी भर्ती के उन पदों हेतु जिनमें विशिष्ट योग्यतायें, अनिवार्य अर्हता में सम्मिलित है यथा कार्मिक अधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक विधि अधिकारी, सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, क्रीड़ा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, औद्योगिक सम्बन्ध अधिकारी आदि तथा उपरोक्त से

	सम्बन्धित संवर्ग के उच्च पदों पर सीधी भर्ती हेतु, एवं भविष्य में आने वाले सीधी भर्ती के ऐसे पद जिनमें एम0बी0ए0 अर्हता आवश्यक हो। 2. अवर अभियन्ता के सीधी भर्ती के पदों हेतु। 3. कला (ड्राइंग) संवर्ग के मानचित्रक पद हेतु सम्बन्धित ट्रेड की ड्राइंग से सम्बन्धित कम्प्यूटर एप्लीकेशन में योग्यता का प्रमाण पत्र।
--	--

2. कार्यालय ज्ञाप संख्या-20-विनियम/पाकालि/08-5-विनियम/98 दिनांक 29.01.2008 के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 33-(1)विनियम एवं औ0सं0/पाकालि/11-तद्दिनांक :

प्रतिलिपि कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के सलाहकार, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 3- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, के निजी सचिव, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/लखनऊ/आगरा एवं कैंसको, कानपुर।
- 8- मुख्य अभियन्ता एवं अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- कार्यकारी अपर सचिव-प्रथम/अपर सचिव (द्वितीय/तृतीय/अराजपत्रित)/मुख्यमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन)/सलाहकार (औस)/कायिनी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- ✓ 12- अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट पर लोड किये जाने हेतु।

मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

(जावेद अहमद)
अनुसचिव (विनियम)